

न्यायालयः डॉ. कुलदीप जैन, विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड (म०प्र०)

आदेश दिनांक-24.01.2017

प्र०कं० 183 / 12 विद्युत

शासन

.....अभियोगी

// बनाम //

रामसनेही शर्मा

..... आरोपी

Order sheet (contd)

case NO- 183/of 2012

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding officer	Signature of parties or pleaders where necessary
24.01.2017	<p>परिवादी की ओर से श्री अतुल कुमार सक्सेना अधिवक्ता। आरोपी रामसनेही शर्मा अनुपस्थित। प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है। पुलिस थाना मेहगॉव जिला भिण्ड से आरोपी का गिरफ्तारी वारण्ट इस तस्दीक के साथ वापिस प्राप्त कि उसे तलाश करने पर वह नहीं मिला। फरारी साक्ष्य में साक्षी आरक्षक देवेन्द्र शर्मा उपस्थित हैं।</p> <p>उनकी फरारी साक्ष्य अंतर्गत धारा 299 द०प्र०सं० लेखबद्ध की गई। उन्होंने शपथपूर्वक तामीली रिपोर्ट का समर्थन किया है। उनकी रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये आरोपी को फरार घोषित किया जाता है। उसके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो। स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट संबंधित आरक्षक कं० 74 देवेन्द्र शर्मा को प्रदत्त कर पावती आदेश पत्रिका में ली जावे।</p> <p>धारा 82 द०प्र०सं० के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो। धारा 83 द०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही के लिए अभियोजन अभियुक्त की सम्पत्ति का विवरण पेश करे। प्रकरण में आरोपी फरार हैं। तदनुसार अभिलेख व मुद्देमाल सुरक्षित रखने संबंधी टीप प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से अंकित की जावे।</p> <p>प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिणाम पंजी में अंकित कर विहित अवधि में दाखिल अभिलेखागार किया जावे।</p>	

	<p>सही / – (डॉ० कुलदीप जैन) विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड (म०प्र०)</p>	
--	--	--

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)